समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता

पत्र सं0-स्था-1-मानव संपदा /2026-27/I/411722/2026 /राज्य कर ।

प्रेषक,

आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

सेवा में,

1.समस्त जोनल अपर आयुक्त
2.अपर निदेशक, राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश
3.समस्त अनुभाग अधिकारी,
राज्य कर, मुख्यालय ।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग) **लखनऊ : दिनांक : 09-01-2026**

विषयः मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-1420/ सैतालिस-का-5-2025-(1838120) दिनांक 06.01.2026 (प्रति संलग्न) व उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-I/1168953/2025 दिनांक 09.12.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर **चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक** अपलोड करने के निर्देश दिए गए है ।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिको को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वे मानव सम्पदा पोर्टल, पर नियमानुसार अपना चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31.01.2026 तक दर्ज करना सुनिश्चित करे तथा यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही माह जनवरी, 2026 का देय वेतन फरवरी, 2026 में भुगतान किया जाये | शासन के निर्देशानुसार जिन अधिकारीयों के द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण उपरोक्त समयान्तर्गत घोषित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी का माह जनवरी, 2026 का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा |

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय
Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 09-01-2026
11:18:33
(धनंजय शुक्ल)
अपर आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनाक उक्त।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1 - समस्त अपर आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय ।
2-वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कमिश्नर कैम्प), राज्य कर, मुख्यालय ।
3- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
4- कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्थापना राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय ।

Digitally signed by
SWETA SINGH
Date: 09-01-2026
11:41:57

(श्वेता सिंह)
उपायुक्त स्थापना राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ

अति महत्वपूर्ण

संख्या- 1420 /सैतालीस-का-5-2025-(1838120)

प्रेषक,

एस०पी० गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : 06-01-2026

विषय: मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराया जाना।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 26/2025/865/सैंतालीस-का-5-2025 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

2 - उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिन कार्मिकों द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण/ सूचना दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड कर दी जाएंगी, उनको ही माह जनवरी, 2026 का देय वेतन फरवरी, 2026 में भुगतान किए जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के नियन्त्रक प्राधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस०पी० गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

File No. 47-5099/9/2024-कामर्कि अनुभाग-5-कामर्कि विभाग-Part(2) (Computer No. 1838120)
Generated from eOffice by आशीष केसरवानी, ARO(ASK)-KARMIK, सहायक समीक्षा अधिकारी, कामर्कि विभाग on 07/01/2026 10:33 AM

7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रभारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि इसे ई-ऑफिस डैशबोर्ड पर प्रदर्शित कराएं।
13. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
14. श्री ए०के० रावत, निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
15. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

<u>अत्यन्त महत्वपूर्ण</u>
<u>संख्या-**I/1168953/2025**</u>

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नियुक्ति अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक:09-12-2025

विषय: उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों द्वारा वार्षिक चल-अचल सम्पत्ति विवरण स्पैरो पोर्टल पर ऑन-लाइन माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/ महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नियुक्ति अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-I/119664/2021 (F.No. 02-7099/131/2021-7) दिनांक 16.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पुराने प्रारूप को अवक्रमित कर संशोधित एवं परिवर्धित प्रारूप "वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT) निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप पर वार्षिक सम्पति विवरण नियुक्ति विभाग को प्रेषित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ तैनात उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के समस्त अधिकारियों को 31 दिसम्बर 2025 तक धारित समस्त चल-अचल सम्पति का विवरण sparrow-pcs.up.gov.in पर अपने आई०डी० पास-वर्ड का प्रयोग करते हुए प्रत्येक दशा में 31 जनवरी 2026 तक भरने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- कृपया अपने अधीनस्थ तैनात उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के समस्त अधिकारियों को यह भी अवगत कराया जाए कि स्पैरो पोर्टल पर दिनांक 31.01.2026 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा तथा इस संबंध में दिनांक 01.02.2026

एवं उसके पश्चात होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए, ऐसे पी०सी०एस० अधिकारियों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पति का विवरण स्पैरो पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उसकी पदोन्नति के प्रकरण पर विचार नही किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

4- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
M DEVARAJ
Date: 09-12-2025
17:20:29

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।